(02) आई० टी० मैनेजर

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि0सं0– निग/सारा–04 (पथ) मुक०–46/2019 2815(S) /पटना, दिनांक 21/1/26

श्री राज किशोर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर के द्वारा पथ अवर प्रमंडल, हाजीपुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए उनसे विभागीय पत्रांक–1557(एस) अनु० दिनांक–17.03.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत् हैः–

(i) हाजीपुर–लालगंज–वैशाली पथ के कि०मी० 23 से कि०मी० 33 में पैच पॉट के अलावे विभिन्न अंशों में Raising कार्य कराना था। Raising कार्य एकरारनामा में निहित प्रावधान के अनुसार जी०एस०बी० के ऊपर तीन–तीन इंच ग्रेड– II एवं ग्रेड–III कार्य के पश्चात् 20 मि०मी० प्रीमिक्स कारपेटींग का कार्य कराया जाना था। इस पथांश में संवेदक द्वारा जी०एस०बी० के ऊपर ग्रेड–II का कार्य कहीं–कहीं आंशिक रूप से ही कराया गया एवं ग्रेड–III का कार्य कराये बिना प्रीमिक्सींग का कार्य करा दिया गया। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हाजीपुर के पत्रांक–1042 दिनांक–21.10.2009 द्वारा श्री प्रसाद को प्रीमिक्स कारपेट को हटाकर ग्रेड–II एवं ग्रेड–III कार्य कराने के पश्चात् फिर से प्रीमिक्स कारपेटिंग कराने का निदेश दिया गया था परन्तु तत्समय निर्धारित अवधि तक श्री प्रसाद के द्वारा इसमें कोई रूचि नहीं ली गयी और न हीं किसी प्रकार का सकारात्मक प्रयास ही किया गया है, जो उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं कर्त्तव्य में लापरवाही का द्योतक है।

(ii) श्री प्रसाद के द्वारा इन गलत कार्यों का विपत्र बनवाने हेतु कनीय अभियंताओं पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया गया। साथ ही साथ श्री प्रसाद के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हाजीपुर से उक्त गलत कार्य को एलाऊ कर भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। इस तरह श्री प्रसाद के द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु भ्रष्ट मनोवृति का परिचय दिया गया है।

2. उक्त के संबंध में श्री प्रसाद द्वारा पत्रांक–821 (अनु०) दिनांक–07.08.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जिसकी विभागीय समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1025(एस) दिनांक–10.02.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में मुख्य अभियंता–सह–संचालन पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च (दक्षिण) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–2449 (अनु०) दिनांक–01.08.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित 02 (दो) आरोपों को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया। तत्पश्चात् उक्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया। विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा भी दोनों आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया एवं आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गयी।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री राज किशोर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर को आरोप मुक्त किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक :– निग / सारा–04 (पथ) मुक०–46 / 2019 / पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–04 (पथ) मुक०–46 / 2019 / पटना, दिनांक....................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

अनु0–यथोक्त।

ह० / –
सरसकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–04 (पथ) मुक०–46 / 2019 / पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव / सचिव, भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना / विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर / उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर / अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–13 / 14), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव, मुख्यालय / लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 / 2 / 6 / 13 / 14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तथा **श्री राज किशोर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–04 (पथ) मुक०–46 / 2019 2816(8) / पटना, दिनांक 21/4/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

21.4.26
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

20.04.26